



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233

ई – मेल: apecf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/सिंचाई/425-56/1191

रायपुर, दिनांक 3/05/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेंट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग – भू तल
न्यू सेक्रेटियेट भवन – VCA स्टेडियम के सामने
सिविल लाईन, नागपुर – 440001.

विषय: – **Diversion of 21.923 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Water Resources Division No. 02 Ramanujanj For Construction of Canal of Khutpali Diversion Scheme for Irrigation, area - 21.293 ha. Regarding.**

— **पंजीयन क्रमांक PF/CG/IRRIG/13417/2015**
संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/ CH-54/2017-NGP, 1370 दिनांक 20.02.2017
2. वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2017/ 674 दिनांक 24.03.2017
× × × × ×

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 13 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से उक्त जानकारी वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	Extant project is a linear project i.e. related to construction of canal. The category of the proposal has been recorded as irrigation in the online proposal. The necessary rectification to change the category to linear projects may be made by the State Government.	प्रस्तावित सिंचाई परियोजना लीनियर परियोजना है। फार्म-ए Part-I में Category Irrigation है। वन भूमि की शेप लीनियर दर्शित है। (प्रदर्श-‘ए’)
2	A hard copy of Part-I generated by the webportal has not been submitted. Original copy of the same duly bearing the date and name of the signing authority may be submitted by the State Government.	Part-I की हार्ड कॉपी हस्ताक्षरकर्ता के नाम सहित संलग्न है (प्रदर्श-‘बी’)
3	Specific recommendation of the DCF concerned has not been recorded in Part-II. Original copy of the Part-II recording the specific recommendation of the DCF duly bearing the date and name may be submitted by the State Government. Similarly, Part-III does not bear the name of the signing authority. The same may be rectified and uploaded on the website	Part-II सुधारकर पुनः वेब साईट पर अपलोड किया गया है भाग दो एवं भाग तीन संशोधित तैयार कर प्रस्तुत है (प्रदर्श-‘सी’)
4	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making application on behalf of the User Agency has not been uploaded correctly on web-portal.	जानकारी संलग्न है (प्रदर्श-‘डी’)

	KML file of the area proposed for diversion is ambiguous as KML files pertaining to the surrounding area have also been uploaded. KML file, exclusively for the canal, needs to be uploaded on the website and a soft of the same along with clear shape files may be submitted to the Regional Office.	प्रस्तावित क्षेत्र का के.एम.एल फाइल मय की, डी संलग्न है (प्रदर्श-‘ई’)																																										
6	Part-I submitted online mentioned the total non-forest land involved in the proposal as 10.41 ha comprising of 6.141 ha of Government revenue land and 12.269 ha as private non-forest land. The detail of private and Government Revenue land's survey number has not been certified by the DCF concerned	जानकारी संलग्न है (प्रदर्श-‘एफ’)																																										
7	644 project affected trees have been reported in the Part-II submitted online while details of enumeration list enclosed with the proposal mentioned the total number of project affected trees as 900. Exact number of project affected trees needs to be re-confirmed by the State Government. Given the density of 0.6 over an area of 21.29 ha, 40 number of trees per ha seems inappropriate. It may also be reconfirmed by the State Government.	प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की गणना 21.50 से. मी गोलाई से की गई, जिसमें वृक्षों की संख्या 900 है। जबकि वेब पोर्टल पर विकल्प 31-60 से. मी की गोलाई अनुसार वृक्षों की संख्या प्रविष्ट किये जाने पर वृक्ष संख्या 644 होती है। 21-30 से. मी गोलाई के वृक्षों की संख्या 256 है जिसकी प्रविष्टि हेतु वेब पोर्टल पर विकल्प नहीं है। प्रभावित वन कक्षों का घनत्व 0.6 है किन्तु नहर हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में विरल वन होने के कारण वृक्षों की संख्या कम है।																																										
8	Area calculation statement in the forest as well as non-forest land for the construction of canal giving complete details of RoW for canal, roads and others structures, if any, may be submitted along with the proposal.	जानकारी संलग्न है (प्रदर्श-‘जी’)																																										
9	With regards to the information furnished on total area diverted in the Forest Division, the DCF concerned has submitted two figures i.e. 1587.784 ha and 150.82 ha. The DCF concerned has certified that so far an area of 150.82 ha been diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 in the district. The information needs to be re-confirmed by the State Government.	वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 1587.784 हे. है। त्रुटिवश 150.82 हे. अंकित हो गया है। विवरण संलग्न है (प्रदर्श-‘एच’)																																										
10	Extant project is a linear project i.e. related to construction of canal which is considered as non-site specific activity. The details of alternative explored by the User Agency have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित क्षेत्र हेतु अन्य विकल्पों का मानचित्र संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र से नहर ले जाने पर अधिक एवं सघन वन भूमि प्रभावित होगी।																																										
11	A tabular statement containing details of the forest patch, length of canal, density, area involved and number of trees being affected may be submitted by the State Government	<table><tr><th colspan="4">व्यपवर्तित वन भूमि का विवरण</th><th>20 से.</th><th>30 से.</th></tr><tr><th>कक्ष क्र.</th><th>रकबा (हे.)</th><th>नहर की लंबाई (मीटर में)</th><th>वन क्षेत्र का घनत्व</th><th>मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या</th><th>मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या</th></tr><tr><td>P3294</td><td>2.185</td><td>745.720</td><td>0.6</td><td>76</td><td>30</td></tr><tr><td>P3295</td><td>1.332</td><td>450.450</td><td>0.6</td><td>105</td><td>76</td></tr><tr><td>P3299</td><td>1.760</td><td>481.750</td><td>0.6</td><td>95</td><td>58</td></tr><tr><td>P3306</td><td>8.450</td><td>169.660</td><td>0.6</td><td>110</td><td>69</td></tr><tr><td>P3307</td><td>0.180</td><td>1468.430</td><td>0.6</td><td>74</td><td>68</td></tr></table>	व्यपवर्तित वन भूमि का विवरण				20 से.	30 से.	कक्ष क्र.	रकबा (हे.)	नहर की लंबाई (मीटर में)	वन क्षेत्र का घनत्व	मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या	मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या	P3294	2.185	745.720	0.6	76	30	P3295	1.332	450.450	0.6	105	76	P3299	1.760	481.750	0.6	95	58	P3306	8.450	169.660	0.6	110	69	P3307	0.180	1468.430	0.6	74	68
व्यपवर्तित वन भूमि का विवरण				20 से.	30 से.																																							
कक्ष क्र.	रकबा (हे.)	नहर की लंबाई (मीटर में)	वन क्षेत्र का घनत्व	मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या	मी ऊपर गोलाई के वृक्षों की संख्या																																							
P3294	2.185	745.720	0.6	76	30																																							
P3295	1.332	450.450	0.6	105	76																																							
P3299	1.760	481.750	0.6	95	58																																							
P3306	8.450	169.660	0.6	110	69																																							
P3307	0.180	1468.430	0.6	74	68																																							

		P331	284	644.526	126	145	126
		P332	4435	126.296	126	49	28
			21.29	5442.240		900	644
12	Component wise breakup of the forest land required for the project has not been submitted	प्रस्तावित क्षेत्र का उपयोग केवल नहर निर्माण हेतु किया जावेगा। अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा।					
13	An appropriate map showing cross sectional map of the canal may be submitted by the state Government.	मानचित्र संलग्न है (प्रदर्श-आई)।					

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र०/भू-प्रबंध/सिंचाई/425-56/1192

रायपुर, दिनांक 03/05/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।
- वृक्ष विदोहन योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर से अनुमोदित करा कर पी. डी. खाते में राशि जमा कराकर आहरण की अनुमति इस कार्यालय से प्राप्त करें।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, रामानुजगंज, जिला, बलरामपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़
019